

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या - 17- सी0 सर्वे0 एजेंसी (तकनीकी प्रतिवेदन) - 91/2017-1162

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रोजेक्ट मैनेजर,
IIC Technologies Ltd., Hyderabad,
IL&FS Environmental Infrastructure Services Ltd. New Delhi,
GIS Consortium India Pvt Ltd. New Delhi

पटना, दिनांक :- 22/11/2017

विषय :- त्रि-सीमाना के कोडिंग पैटर्न में एकरूपता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य के अन्तर्गत हवाई फोटोग्राफी एजेंसी द्वारा ग्राम सीमा स्थित सभी त्रि-सीमानों का मोन्यूमेंटेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है। उक्त स्थापित किये जा रहे त्रि-सीमानों और उसके टाईलाइन से संबंधित ए0सी0पी0 (ACP) के कोड का संघारण डाटाबेस में किया जाना है। तीनों हवाई फोटोग्राफी एजेंसियों द्वारा निर्मित किये जा रहे डाटा में एकरूपता बनी रहे, इसके लिए त्रि-सीमाना के कोडिंग पैटर्न में एकरूपता रखा जाना आवश्यक है। जिसके लिए त्रि-सीमाना के कोडिंग के निर्धारण हेतु निदेशालय द्वारा कोडिंग की विधि तैयार की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपर्युक्त के आलोक में त्रि-सीमाना के कोडिंग पैटर्न निदेशालय द्वारा तैयार विधि के आधार पर तैयार करते हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर में त्रि-सीमाना एवं ACP से संबंधित विवरण अपलोड करें ताकि एकरूप डाटाबेस निर्मित हो सके एवं आवश्यकतानुसार साप्ताहिक प्रतिवेदन का सत्यापन किया जा सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक

त्रि-सीमाना के कोडिंग की विधि

153

त्रि-सीमाना कोड 15 डिजिट का एक अंकिक कोड होगा। जो 5 टुकड़ों में तैयार होगा।

(i) पहला टुकड़ा 1 डिजिट का होगा, जो यह बतायेगा कि कंट्रोल प्वाइंट किस तरह का है।

| | |
|--------------------------|---|
| P.C.P के लिए | 1 |
| S.C.P के लिए | 2 |
| T.C.P के लिए | 3 |
| A.C.P के लिए | 4 |
| त्रि-सीमाना के लिए | 5 |

अर्थात् सारे त्रि-सीमाने के 15 अंकों के कोड में पहला अंक 5 ही होगा।

(ii) दूसरा टुकड़ा दो अंकों का होगा, जो जिला का कोड बतायेगा। 38 जिलों के लिए कोड की सूची N.I.C द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नवत् है :-

(iii) तीसरा टुकड़ा भी दो अंकों का होगा, जो अंचल का कोड बतायेगा। जिलावार अंचल का कोड भी N.I.C द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नवत् है :-

(iv) चौथा टुकड़ा एक अंक का होगा, जो ग्राम से बड़ी भौगोलिक इकाई के सीमा की प्रकृति बतायेगा।

यदि त्रि-सीमाना किसी
अंचल सीमा पर नहीं है
और केवल ग्राम-सीमा
के मध्य है तो उसके लिए

यदि त्रि-सीमाना किसी
ग्राम-सीमा के साथ
किसी अंचल सीमा पर
भी है तो उसके लिए

यदि त्रि-सीमाना किसी
ग्राम-सीमा के साथ
किसी जिला सीमा पर
भी है तो उसके लिए

यदि त्रि-सीमाना किसी
ग्राम-सीमा के साथ
किसी राज्य सीमा पर
भी है तो उसके लिए

यदि त्रि-सीमाना किसी
ग्राम-सीमा के साथ
किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर
भी है तो उसके लिए

अगर किसी त्रि-सीमाना के लिए चौथे टुकड़े के लिए एक से ज्यादा विकल्प उपलब्ध होता है तो सबसे बड़े अंक को कोड में उपलब्ध किया जाएगा अर्थात् बृहत्तर भौगोलिक इकाई की सीमा को वरीयता प्रदान किया जाएगा।

(v) पाँचवा टुकड़ा नौ अंकों का होगा जो तीनों ग्रामों के राजस्व थाना नं० (R.T No.) से मिलकर बना होगा। कोई भी त्रि-सीमाना भू-सतह के उपर चार फलकों से बना हुआ पिरामीडनुमा संरचना है। प्रत्येक फलक के सम्मुख जो भी ग्राम पड़ता है उसका राजस्व थाना नं० (R.T No.) अंकित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर त्रि-सीमाना का तीन फलक अंकित हो जाएगा और एक फलक खाली रहेगा जिस पर उपरोक्त वर्णित चार टुकड़ों को मिला कर बनने वाला छः अंकों का कोड अंकित किया जाना चाहिए।

मोन्यूमेंट किए जाने वाले सारे त्रि-सीमाना रस्तों के लिए सर्वभौमिक रूप से उत्तर दिशा के पिरामीड फलक पर उपर में कैपिटल "N" लिखा जाना चाहिए ताकि उत्तर दिशा का ज्ञान आसानी से हो सके।

[नोट:- सॉफ्टवेयर में G.C.N की विवरणी उपलब्ध कराते वक्त हवाई एजेंसियों को त्रि-सीमाना के प्रद्वह अंकों के कोड में पाँचवें टुकड़े के रूप में अंतिम नौ अंकों को उत्तर दिशा से बामावर्त (anticlockwise) घूमते हुए तीनों ग्रामों के राजस्व थाना नं० (R.T No.) से निर्मित करना है।]

त्रि-सीमाने से संबद्ध A.C.P के कोडिंग की विधि

A.C.P कोड 16 डिजिट का एक अंकिक कोड होगा। इस कोड का पहला अंक 4 होगा तथा दूसरे से 15वें अंक तक संबंधित त्रि-सीमाना के कोड को Follow करेगा अर्थात् A.C.P जिस त्रि-सीमाने से संबद्ध है उसका दूसरे से 15वें अंक तक का कोड समान होगा। 16वें अंक के लिए A.C.P किस ग्राम में है इसकी सूचना संधारित होगी। प्रत्येक त्रि-सीमाने के परितः टाई-लाइन निर्दिष्ट करने के लिए तीन A.C.P अलग-अलग ग्राम में चिह्नित किए जाएंगे। उत्तर दिशा से बामावर्त (anticlockwise) घूमते हुए।

पहले ग्राम के लिए.....1
दूसरे ग्राम के लिए.....2
तीसरे ग्राम के लिए.....3

स०ब०प० (मुख्यालय) द्वारा प्रत्येक ग्राम के त्रि-सीमाने और उससे संबंधित A.C.P का पूर्ण विवरण वेबसाईट पर हवाई एजेंसियों द्वारा अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बिहार के लिए एक राज्यस्तरीय शुद्ध एवं एकरूप डाटाबेस का निर्माण हो सके।

15/11/2017